परिशिष्ट 2 10-19

विधान :आरटीकल्स ऑफ एसोसिएशन:

श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय, श्रीमहावीरजी ।राज०।

की नियमावली

श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय, श्रीमहावीरजी के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए मेमोरेन्डम ।विधान। के अन्तर्गत निम्न नियम लागू होंगे :-

नाम :- इस संस्था का नाम श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय श्रीमहावीरजी रहेगा ।

संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय :- इस संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय, श्रीमहावीरजी जिला- सवाई माधोपुर ।राज.। में होगा ।

:: सदस्यता के नियम ::

सदस्यता का प्रवेश फार्म, संस्था की संचालिका से नियमानुसार [illegible] अदा कर प्राप्त किया जा सकेगा । सदस्यता स्वीकृति का अधिकार संस्था के हित को दृष्टि में रखते हुए संस्था के मंत्री [illegible] को होगा । कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 17 वर्ष से ऊपर हो संस्था का सदस्य होने की क्षमता रखेगा, सदस्य बनने के सम्बन्ध में मन्त्री [illegible] का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा ।

।क। प्रत्येक सदस्य को 1/- रुपये प्रवेश शुल्क व सदस्यता शुल्क प्रतिवर्ष जमा कराना होगा ।

।ख। ऐसे सदस्यों को जो संस्था के नियमों की अवहेलना करेंगे, उनको पृथक करने का पूर्ण अधिकार संस्था की संचालिका को होगा । जिसकी सूचना सभा व मंत्री को देनी होगी ।

।ग। जिस सदस्य पर एक साल से ज्यादा चन्दा बकाया रहेगा, वह सदस्य संस्था का सदस्य नहीं रह सकेगा ।

।घ। प्रतिवर्ष संस्था को एक समय में 2,000/- रुपये सहायता प्रदान करेंगे उन्हें साधारण सदस्य ।दानदाता। समझा जावेगा । जो संस्था को कम से कम 10,000/- रुपये या इससे अधिक सहायता [illegible] प्रदान करेंगे उन्हें आजीवन सदस्य समझा जावेगा ।

।ङ। संस्था की संचालिका किसी भी प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षा शास्त्री, अथवा सम्माननीय व्यक्ति को प्रबंध समिति के सदस्यों के चयन के समय संस्था के समाज की दृष्टि से सदस्य मनोनीत कर सकेगी और उन्हें मत देने का अधिकार होगा । इस प्रकार [illegible] के तीन प्रकार के सदस्य होंगे ।

1- साधारण ।दानदाता।
2- आजीवन
3- मनोनीत

Attested

व्याख्याता
राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय
श्रीमहावीरजी (राज०)

व्याख्याता
रा० आ० राज० उ० मा० वि०
भरतपुर (राज०)

चुनाव - पद्धति

1- आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य मिलकर चुनाव मंडल कहलायेंगे ।

2- प्रबंध समिति का चुनाव, चुनाव मंडल करेगा । जिसके लिए सभा का आयोजन किया जावेगा, जिसकी पूर्व सूचना संचालिका द्वारा एक मास पूर्व देना आवश्यक होगा ।

3- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 जो राजस्थान राजपत्र दिनांक 18.02.93 भाग 4(ग) उपखण्ड (1) के असाधारण अंक में प्रकाशित हुआ, इस परिपत्र के आदेशों का पालन करना आवश्यक होगा और इस परिपत्र के नियम 23 अध्याय, 4 के अनुसार प्रबंध समिति में 15 सदस्यों से कम एवं 21 से अधिक संख्या नहीं होगी ।

4- संस्था की वर्तमान संचालिका, श्रीमती कमलाबाई प्रबंध समिति की आजीवन सदस्या एवं संचालिका रहेगी ।

5- प्रबंध समिति का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में इस कार्यकाल की अवधि प्रबंध समिति द्वारा बढ़ाई जा सकेगी और जब तक नई प्रबंध समिति का चुनाव नहीं होगा तब तक पूर्व प्रबंध समिति ही कार्य करती रहेगी ।

6- संस्था के पदाधिकारियों की संख्या 8 होगी । व्यवस्थापक (प्रबंधक) पदेन सचिव रहेगा । यह निम्न प्रकार होगी ।

(क) 1- संचालिका — 2- सभापति — संरक्षक
3- उप सभापति — 4- मंत्री
5- संयुक्त मंत्री — 6- प्रधानाध्यापक
7- व्यवस्थापक (प्रबंधक) "पदेन सचिव"

(ख) संचालिका, प्रबंधक (पदेन सचिव) व प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का चुनाव प्रबंध समिति के निर्माण के 15 दिन के अन्दर - अन्दर होगा ।

(ग) आकस्मिक दुर्घटना व किसी पदाधिकारी अथवा किसी प्रबंध समिति के सदस्य का त्याग-पत्र देने पर रिक्त स्थान की पूर्ति का अधिकार संचालिका को होगा, मगर ऐसे मनोनीत सदस्य अथवा पदाधिकारी की कार्यविधि 3 मास से अधिक नहीं होगी, इस अवधि के उपरान्त नियमानुसार चुनाव होना आवश्यक होगा मगर कारण विशेष की स्थिति में यह अवधि 6 मास तक हो सकेगी ।

1- संस्था सदस्यों द्वारा चुनी हुई प्रबंध समिति जो संस्था के कार्यों का संपादन करे प्रबंध समिति समझी जायेगी । इस समिति का गठन सर्व सदस्यों की सभा में चुनाव द्वारा होगा ।

2- संचालिका को दो तिहाई बहुमत प्रबंध समिति की सदस्य संख्या में कमी और वृद्धि करने का अधिकार होगा किन्तु प्रबंध समिति की सदस्य संख्या 15 से कम और 21 से अधिक नहीं होगी ।

Attested

व्याख्याता
रा० उ० मा० वि०
भरतपुर (राज०)

कमलाबाई

3- प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का चुनाव स्वयं प्रबंध समिति करेगी । प्रबंध समिति में 2/3 से अधिक एक जाति के सदस्य नहीं होंगे । सदस्यों में एक-एक सदस्य निम्न वर्गों का प्रतिनिधि होगा :-

(क) अध्यापक वर्ग का प्रतिनिधि
(ख) विभागीय प्रतिनिधि
(ग) एक प्राचीन छात्र
(घ) अभिभावक प्रतिनिधि
(ङ) उपरोक्त निर्धारित वर्गों के अतिरिक्त शेष सदस्यों का चुनाव साधारण व आजीवन सदस्य करेंगे ।

4- प्रबंध समिति का अधिवेशन साधारण तथा प्रतिवर्ष में एक बार होगा । आवश्यकतानुसार इसके पहले भी हो सकेगा परन्तु इसकी सूचना सभापति व मंत्री को एक मास पूर्व देना आवश्यक होगा ।

5- प्रबंध समिति की कार्यवाहक संख्या के समस्त सदस्यों की संख्या का 2/3 होगा किन्तु कार्यवाहक संख्या के न होने के कारण स्थगित अधिवेशन में कम से कम 5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

6- प्रबंध समिति के 5 सदस्यों द्वारा मंत्री महोदय के समक्ष लिखित आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर मीटिंग बुलाना अनिवार्य होगा ।

7- संस्था के मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन में परिवर्द्धन, संशोधन व परिवर्तन करने के लिए प्रबंध समिति की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक होगा जिसकी लिखित सूचना मीटिंग होने के दिन से एक मास पूर्व देना xxxxxxxxxx आवश्यक होगा जिसका निर्णय उपस्थित सदस्यों की 2/3 संख्या से लिया जावेगा, सदस्यों की उपस्थिति प्रत्यक्ष या परोक्ष हो सकती है, बैठक की कार्यवाही के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से अनिवार्य होगी, परोक्ष अनुपस्थिति की अवस्थाओं में सदस्यों को मीटिंग के एक दिवस पूर्व मंत्री महोदय के पास लिखित रूप से सहमति भेजना अनिवार्य होगा ।

8- संस्था के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन में परिवर्तन परिवर्द्धन संशोधन करने के लिए प्रबंध समिति की बैठक बुलाना आवश्यक होगा । जिसकी सूचना मीटिंग के दिवस से 15 दिन पूर्व भेजना अनिवार्य होगा । मीटिंग का निर्णय बहुमत से लिया जावेगा, मीटिंग की कार्यवाही के लिए सदस्यों की उपस्थिति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आवश्यक होगी परोक्ष उपस्थिति की अवस्था में सदस्यों को अपनी लिखित सहमति मीटिंग से एक दिवस पूर्व मंत्री के पास भेजना आवश्यक है ।

Attested

व्याख्याता
रा० उ० मा० वि०
भरतपुर (राज०)

....4

9- आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन में परिवर्द्धन, परिवर्तन व संशोधन करना संस्था के हितों व उद्देश्यों में अनुकूल होगा । अन्य प्रकार नहीं । संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति व दिन प्रतिदिन के कार्य को सुचारु रूप से चलाने व उसमें प्रगति देने के लिए संचालिका को अधिकार होगा कि वह इस हेतु आवश्यक नियम व उपनियमों को आवश्यकतानुसार बना सके, मगर इस प्रकार बनाये हुए नियम व उपनियमों का 3 मास की अवधि के अन्दर समिति द्वारा स्वीकृत करवाना आवश्यक होगा ।

:: प्रबंध समिति के अधिकार व कर्तव्य ::

1- संस्था के पदाधिकारियों को चुनना ।

2- संस्था के आय-व्यय का बजट स्वीकृत करना ।

3- बजट के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार खर्च की स्वीकृति देना ।

4- (क) संस्था की चल व अचल सम्पत्ति के संरक्षण की सुव्यवस्था करना ।

(ख) संस्था की उन्नति के लिए हर प्रकार प्रयत्न करना ।

(ग) संस्था के हित की दृष्टि से चल व अचल सम्पत्ति का क्रय आदि प्रबंध समिति की स्वीकृति लेकर करना ।

5- आवश्यकतानुसार स्थाई एवं अस्थाई सहायक समितियों का निर्माण व उनके अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित करना ।

6- आय व व्यय का हिसाब देखना व आडिट कराकर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना ।

7- सभापति या उप सभापति की अनुपस्थिति में उस अधिवेशन के लिए उपस्थित सदस्यों में से किसी को अधिवेशन का सभापति चुनना ।

8- सदस्य एवं पदाधिकारियों का त्याग-पत्र स्वीकार करना ।

9- उक्त धाराओं को क्रियान्वित करने के लिए नियमों व नियम बनाने का प्रबंध समिति को पूर्ण अधिकार होगा ।

10- छुट्टियों की तालिका स्वीकृत करना ।

11- प्रबंध समिति के लेखक व उगाई करने वाला, अथवा प्रचारक की नियुक्ति व पृथक करण संचालिका की सम्मति से करना ।

:: सभापति के अधिकार ::

1- प्रबंध समिति के अधिवेशनों विशेष अधिवेशनों का संचालन करना ।

2- विवादग्रस्त विषयों में बराबर मत आने पर अपना मत देकर निर्णय करना ।

3- महत्व पूर्ण विषयों में मंत्री को आदेश देना ।

4- बजट के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार वर्ष भर में 15,000/- रुपये तक खर्च करना और प्रबंध समिति को उसकी सूचना देना ।

Attested

:: उप सभापति के अधिकार ::

1- सभापति की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति के अधिवेशनों तथा विशेष अधिवेशनों का संचालन करना और उसके उत्तरदायित्व को संभालना तथा संस्था सम्बन्धि कार्य में सभापति को सहयोग देना ।

:: मंत्री के अधिकार ::

1- संस्था के उद्देश्योंके के अनुसार उसके संचालन की व्यवस्था करना ।

2- प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत, प्रस्तावानुकूल संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना अथवा कराना ।

3- संस्था संबंधि महत्वपूर्ण कागजात व कानूनी दस्तावेजात, डिग्रीयात भाड़ा बही आदि की सुरक्षा की व्यवस्था करना ।

4- संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना, किन्तु महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार सभापति की सम्मति से करना ।

5- बजट तैयार करना बजट के समय संचालिका का सहयोग लेना ।

6- प्रबंध समिति के अधिवेशनों की कार्यवाही लिखना ।

7- बजट के अतिरिक्त आवश्यक कार्य के लिए बर्ष भर में 10,000/- रुपये तक व्यय करना तथा उसकी सूचना प्रबंध समिति को देना ।

8- प्रबंध समिति के प्रत्यक्ष व परोक्ष अधिवेशन का प्रबंध करना ।

9- आय-व्यय का हिसाब देखना ।

10- अध्यापक, अध्यापिकाओं का एवं अन्य कर्मचारियों की रियायती छुट्टी 15 दिन के अधिकस्वीकृत करना ।

11- बार्षिक विवरण तैयार कर प्रबंध समिति में प्रस्तुत करना ।

12- संस्था की चल व अचल सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना, आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि करना ।

:: संयुक्त मंत्री के अधिकार ::

1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री का कार्य करना और संस्था संबंधि प्रत्येक कार्य मेंमंत्री को सहयोग देना ।

:: संचालिका के अधिकार ::

1- विद्यालय एवं छात्रावास में अपराधी छात्राओंपर दण्ड करना और निर्धारित दण्ड बसूल करना ।

Attested

व्याख्याता
रा० आ० राज० उ० मा० वि०
भरतपुर (राज०)

......6

2- अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की आकस्मिक तथा रियायती
छुट्टी स्वीकृत करना पर लगातार 15 दिन से अधिक छुट्टियों
के लिए मंत्री की स्वीकृति लेना ।
3- चपरासी, जलधारी, हरिजन, आदि की नियुक्ति पृथक करना
और उन पर दण्ड आदि करना ।
4- अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के कर्तव्य निर्धारित करना ।
5- संस्था सम्बधी स्टेशनरी आदि समान 2,000/- रूपये तक का एक
समय में क्रय करना ।
6- अध्यापक, अध्यापिकाओं की तथा अन्य वेतनिक कार्यकर्ताओं की
नियुक्ति पृथक करण तथा वेतन न्यूनाधिक करना और इसकी सूचना
मंत्री को देना ।
7- विशेष अवस्थाओं में बजट स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त वर्ष में
15,000/= रूपये तक खर्च करना और इसकी सूचना मंत्री को देना ।
संस्था की ओर से हर प्रकार के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था
8- आदि पर अपने नाम पर दावे पेश करना उनकी पैरवी करना और
संस्था के हक में साभीर होने वाली डिग्रीयों की वसूलात करना
तथा अन्य हर प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करना व कराना ।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार अभिभाषक से शुल्क
जैसी भी अवस्था हो नियुक्त करना संस्था का कार्य सुचारू रूप से
चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को मुख्त्यार आम या मुख्त्यार
खास से शुल्क या निशुल्क जैसी भी अवस्था हो करना इस संबंध में
रजिस्ट्री, लिखावट आदि करना और कराना ।
किसी भी राज्याधिकारी, सज्जन अथवा प्रख्यात सज्जन को किसी
9- भी विशेष आयोजन पर निमंत्रित करना व विद्यालय में छात्राओं की
ज्ञान वृद्धि के लिए प्रवचनादि आयोजन करना तथा थैली आदि भेंट
करना । थैली की राशि निश्चित करने के लिए सभापति व मंत्री
जी से परामर्श करना व उनकी अनुमति लेना आवश्यक होगा ।
संस्था द्वारा मनाए जाने वाले प्रत्येक उत्सव दीक्षान्त समारोह
10- प्रदर्शनी तथा अन्य सम्बन्धित कार्य की व्यवस्था करना तथा इस
हेतु किसी भी सज्जन को आमंत्रित करना तथा इससे संबंधित होने
वाले व्यय आदि की व्यवस्था करना । संचालिका को किसी एक
उत्सव विशेष पर 5,000/= रूपये तक की राशि खर्च करने का अधि
होगा । इससे अधिक राशि के लिए सभापति या मंत्री की स्वीकृ
लेना ।
संस्था के हित की दृष्टि से छात्राओं के ज्ञानवर्द्धन आत्मीय मानसिक
11- व सर्वांगीण उन्नति की दृष्टि से छात्राओं, शिक्षिकाओं का एज्युके
हिस्टोरिकल टूयूर की समय समय पर व्यवस्था करना व उसके संबंध
में राज्याधिकारियों से अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से आवश्य
पत्रादि करना व सभी प्रकार की रियायतें सुविधायें उपलब्ध करना
व करना । एज्यूकेशनल और हिस्टोरिकल टूयूर में आया व्यय सं

Attested
[signature]
व्याख्याता
रा० आ० राज० उ० मा० वि०
भरतपुर (राज०)

...आओं से प्राप्त किया जावेगा। संचालिका द्वारा इस प्रकार आय व्यय का हिसाब प्रबंध समिति के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट पेश करते समय पेश किया जावेगा। जिसे समिति स्वीकार करेगी वह कार्यक्रम वर्ष में दो बार आवश्यक होगा।

12-संस्था हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार व अन्य विभागों से सहायता अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त करना इस संबंधि अनुबंध आदि देना।

13-सभापति, उप सभापति की अनुपस्थिति में मीटिंग के समय अध्यक्ष पद से मीटिंग के कार्य को चलाना विवादास्पद के समय अपना निर्णय देकर कार्यान्वित करना।

14-संस्था के हित के लिए चल व अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करना व दान स्वरुप स्वीकार करना व किराए पर देना तथा लेना तथा आदान-प्रदान करना।

15-संस्था के हित के लिए आवश्यकतानुसार इमारत बनवाना व इमारत में परिवर्तन व परिवर्द्धन करना।

16- संस्था के लिए प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त करना एवं बन्द करना जिसकी सूचना प्रबंध समिति को देना एवं किसी व्यक्ति व समाज तथा अन्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना।

:: प्रधानाध्यापक के अधिकार ::

1- अध्यापक, अध्यापिकाओं के कार्य को निरीक्षण करते रहना।

2- छात्राओं के प्रवेश, परीक्षाऐं तथा अन्य समस्त शिक्षा संबंधि रजिस्टर आदि तथा समय विभाग आदि की समुचित व्यवस्था करना।

3- पुस्तकालय तथा सामान के लिए अपने को उत्तरदायी समझना।

4- शिक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान तथा अन्य प्रान्तों की परीक्षाओं के केन्द्र स्थापित करना और परीक्षाऐं दिलाना।

5- वर्ष भर में । एक। दिन का अवकाश अपनी ओर से करना।

6- अध्यापक अध्यापिकाओं तथा अन्य कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत पत्रादि तैयार करवाना।

7- अध्यापक, अध्यापिकाओं अन्य कर्मचारियों तथा कक्षा की छात्राओं को तीन दिवस का अवकाश स्वीकृत करना इससे अधिक अवकाश चाहने पर सम्बंधित व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र सिफारिश करके श्री व्यवस्थापक ।प्रबंध जी। के पास भेजना।

8- विभाग द्वारा तथा प्रबंध कारिणी समिति द्वारा दिये गये समस्त आदेशों का विधिवत पालन करना व करवाना।

9- शिक्षा संबंधि प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना, छात्राओं को छात्रवृत्ति देना अथवा किसी के द्वारा दी गई वृत्तियों को स्वीकार कर व्यवस्थापक ।प्रबंधक। की सम्मति से योग्य वितरण करना।

......8

Attested
व्याख्याता
भा० राज० उ० मा० विद्या०
भरतपुर (राज०)

बड़ौदा श्रीमहावीरजी में संचालिका द्वारा प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत धन राशि विधिवत जमा होती रहेगी। संस्था की ओर से संस्था का अकाउन्ट्स संचालिका खोलेगी तथा जमा कराने का अधिकार संचालिका, मंत्री, व व्यवस्थापक (प्रबंधक) में से कोई भी तथा निकालने का अधिकार किन्हीं दो को रहेगा।

2- संस्था का आडिट चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया जावेगा जिसका चुनाव संस्था की प्रबंध xxxxxx समिति के सदस्य करेंगे।

:: संस्था की समाप्ति ::

1- संस्था की समाप्ति सोसायटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत हो सकेगी।

:: परिवर्तन संशोधन व एकीकरण ::

1- संस्था का विधान और नियमों में कोई भी परिवर्तन व संशोधन अथवा अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत हो सकेगा।

ह0	ह0	ह0
मंत्री	संयुक्तमंत्री	संचालिका
श्री दि. जैन आदर्श महिला महाविद्यालय श्रीमहावीरजी (राजस्थान)	श्री दि. जैन आदर्श महिला महाविद्यालय श्रीमहावीरजी (राजस्थान)	श्री दि. जैन आदर्श महिला महाविद्यालय श्रीमहावीरजी (राजस्थान)

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 49/जयपुर/सन् 59-60
2. संस्था का नाम श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय
3. [illegible] विद्यालय प्रांगण, श्री महावीरजी
4. [illegible] ह्न - न
5. [illegible] 27/8/53
6. संशोधित पंजीकृत दिनांक 9/5/98

हस्ताक्षर पंजीयक

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रति है-

हस्ताक्षर पढ़ने वाले के

हस्ताक्षर [illegible]

[illegible] 21-7-98

[illegible] 21-7-98

[illegible] 21-7-98

[illegible] बनवारी

Attested

व्याख्याता
रा0 उ0 मा0 वि0
भरतपुर (राज0)

विधान (मैमोरेन्डम आँफ एसोसियेशन)

...म्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय, श्रीमहावीरजी (राज0)

1- नाम :- इस संस्था का नाम श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय श्रीमहावीरजी रहेगा ।

2- संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय :- इस संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय श्रीमहावीरजी राजस्थान होगा ।

3- उद्देश्य :-

(क) शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी व अनेक प्रकार की लोकोपयोगी कलाओं की शिक्षा देना व उनका प्रचार करना ।

(ख) संस्कृत भाषा व स्त्री महिला शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए रात्रि विद्यालय, वाचनालय, शिक्षा प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षा केन्द्र आदि का स्थापित करना ।

(ग) महिलाओं में हस्त, उद्योग, कला, कौशल, दस्तकारी, व स्वावलम्बन सम्बन्धित अन्य गतिविधियों का संचालन करना ।

(घ) महिलाओं एवं बालिकाओं के मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सर्वान्मुखी विकास के लिए इन सब गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि उनके भावी जीवन का निर्माण हो सके ।

(ङ) छात्रावास का संचालन एवं व्यवस्था आदि करना ।

(च) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के हित के लिए आवश्यकतानुसार अन्य समस्त कार्य करना । परन्तु ऐसा कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होगा ।

ह0	ह0	ह0
मन्त्री	अध्यक्ष	संचालिका
... महिला महाविद्यालय	श्री दि0 जैन संयुक्त मंत्री महाविद्यालय श्रीमहावीरजी (राजस्थान)	श्री दि0 जैन आदर्श महिला महाविद्यालय, श्रीमहावीरजी (राज0)

संचालिका
श्री दि. जैन आदर्श महिला महाविद्यालय
श्रीमहावीरजी (राजस्थान)

Att.
प्रधानाचार्य
राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय
श्रीमहावीरजी (राज0)

Attested
प्राचार्य
राज0 ... उ0 मा0 वि0
भरतपुर (राज0)